

322/25

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक -

ग्रामीण सेवा शिष्टिर

कैम्प कोर्ट

2025/559

काण्डी बनाम किरोर

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136

निर्णय दिनांक:- 16/10/2025

पटवारी हल्का 3162 भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंभा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व ग्राम काण्डी के खाता संख्या में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र.सं. | राजस्व नाम | ग्राम | का | खाता संख्या | खराश नम्बर | अभिलेख प्रतीति | राजि उपरान्त प्रविष्टि | वि. विवरण |
|---------|------------|-------|----|-------------|------------|----------------|------------------------|-----------|
| 01 | काण्डी | | | 162 | | जली-3162 | जली-राजपुर | |
| 02 | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | |

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प कोर्ट

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उपरान्तनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।

02. पटवारी, पटवार हल्का

03. प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

